

प्रेस-नोट
थाना बडागांव

दिनांक- 19.12.24

अपहरण सहित दुष्कर्म के अभियोग में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी के कुशल निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.12.24 को थाना बडागांव पुलिस द्वारा अपहरण व दुष्कर्म के मुकदमें वाँछित चल रहे अभियुक्त सोनू सेन उर्फ सोनू नाई को गिरफ्तार माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 24.12.23 को मुकदमा वादी श्री नीरज पाल पुत्र स्व० दशरथ पाल निवासी ग्राम पालर थाना बडागांव जिला झाँसी की तहरीर पर मु०अ०सं० 297/23 धारा 363/366 पंजीकृत किया गया मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त सोनू सेन उर्फ सोनू नाई पुत्र रजनीकान्त निवासी ग्राम पालर थाना बडागांव जिला झाँसी उम्र 20 वर्ष गिरफ्तार कर तथा पीडिता को बरामद करते हुए माननीय न्यायालय में 164 सीआरपीसी के बयान कराये गये बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धार 376 भादवि व 3/4पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। दिनांक 19.12.2024 को ग्राम छपरा गढमऊ मोड़ के पास से अभियुक्त सोनू सेन उर्फ सोनू नाई पुत्र रजनीकान्त निवासी ग्राम पालर थाना बडागांव जिला झाँसी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1 – सोनू सेन उर्फ सोनू नाई पुत्र रजनीकान्त निवासी ग्राम पालर थाना बडागांव जिला झाँसी उम्र 20 वर्ष

गिरफ्तार का स्थान व समय- गढमऊ मोड़ ग्राम छपरा थाना बडागांव जिला झाँसी व फासला करीब 06 किमी० पश्चिम, दिनांक 19.12.24 समय 08.25 बजे

गिरफ्तार करने वाली टीम:

- 1- श्री प्रकाश सिंह थानाध्यक्ष थाना बडागांव जनपद झाँसी
- 2-उ०नि० मो० हारून थाना बडागांव जनपद झाँसी।
- 3- का० 100 चन्द्रशेखर थाना बडागांव जनपद झाँसी।